जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जमाबन्दी के आधार पर नीलाम किये गये आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/सम्पत्ति के लिए पट्टा-विलेख

पंजीयक विभाग

इकरारनामा जो आज दिनांक 8/8/2016 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 01 सन् 2016 को एक ओर राज्यपाल, जिन्हे इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती मैसर्स ड्रीम होम्स (प्रा.लि.) जरिये पार्टनर विनय ताबी पुत्र/पत्नी .... जाति —— व्यवसाय —— निवासी .... सी एम डी सी ... टावर मोरारका लालकोठी हवा सड़क जयपुर (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर संबोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का शहरी जमाबन्दी के आधार पर नीलामी द्वारा विक्रय करती है जो .... जविप्रा की योजना/~~निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति की~~ वेस्टवे हाइट्स योजना में स्थित स्थान ट्रक टर्मिनल अजमेर रोड भूखण्ड संख्या G-20 क्षेत्रफल 9296.23 व.मी. और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया गया है। भूखण्ड का कुल विक्रय मूल्य (प्रतिफल राशि) रुपये 23,79,83,488/- है। जो अंतिम बोली दाता जिसके पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है द्वारा ~~चालान~~ माध्यम क्रमांक 1524000057 द्वारा जमा करा दी गई है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टा विलेख समूह आवास प्रयोजनार्थ/उपयोग हेतु जारी किया जा रहा है।

3. (अ) पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस हेतु नियत स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में शहरी जमाबन्दी के तौर पर राशि रूपये 51,12,926/- (इक्यावन लाख बारह हजार नौ सौ छब्बीस रूपये) मात्र पेशगी अदा करेगा। यदि नियत तिथि तक शहरी जमा बन्दी जमा नहीं की गई है, तो नियमानुसार ब्याज देय होगा। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अग्रिम जमा कराने पर नियमानुसार 10 प्रतिशत छूट देय होगी।

   (ब) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा कराई जा सकती है। वर्तमान में 8 वर्ष की शहरी जमाबन्दी राशि 40903408/- ~~रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से~~ एक मुश्त अग्रिम जमा करवाने पर शहरी जमा बन्दी से भविष्य के लिए मुक्ति प्रदान कर दी जावेगी। 8 वर्ष की एक मुश्त राशि जिस तिथि को जमा करावें उस तिथि में आवंटी/पट्टाधारक के विरूद्ध कोई शहरी जमाबन्दी राशि बकाया नहीं होनी चाहिए।

   (स) शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की उत्तरोतर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी।

4. आवासीय प्रयोजनार्थ नीलाम किये गये भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्डों का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.07.99 क्रमांक पं. 5(3)नविवि/3/99 द्वारा भवन विनिमयों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाएगा तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोडने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

4. (अ) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नीलाम किये गये भूखण्ड का उपयोग वाणिज्यिक गतिविधि हेतु ही होगा।

5. भूखण्ड/सम्पत्ति का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अनुमत नहीं होगा।

6. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्य बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

7. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का नाम हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

8. नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्ड पर कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। निर्माण नहीं कराये जाने पर प्रचलित आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत पुनर्ग्रहण शुल्क देय होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन होगा। यदि 10 वर्ष में निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा। भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो जायेगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी राज. अम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974) के अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा। नवीन क्रेता भी इन समस्त शर्तों की पालना के लिये बाध्य होगा।

10. पट्टेदार बिना स्वीकृति के भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन नहीं करेगा।

11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा एवं आवंटी भविष्य में किसी भूखण्ड के आवंटन का पात्र नहीं होगा।

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पदेन, जयपुर

नोटः- इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोडकर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 24,82,09,340/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 12410500/- +50 के नं. 2098078- 4305 के कुल संख्या 2 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

कस्बे का नाम जयपुर विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित 9296.23 व.मी.	पूर्व.................पश्चिम.................प्लाट की संख्या यदि कोई हो G-20 सीमा उत्तर .... दक्षिण................ योजना का नाम वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल)	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	स्थान मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण

सरकार की ओर से

आज सन् 2016 के माह .... के................वें दिन श्री जयप्रकाश सिंह सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन .... जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (जोन-8)
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
उप-पंजीयक (प्रथम) जयपुर

साक्षी :-

1. नाम................
पिता/पति का नाम................
व्यवसाय................
निवास स्थान................

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नरेश कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. कैलाश चंद शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

For Taruchaya Colonizers LLP

Designated Partner

आज दिनांक .... 20............को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री विनय तांबी पार्टनर तरुछाया कोलोनाईजर्स एल.एल.पी. खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम रमेश डंगायच
पिता/पति का नाम श्री नन्द किशोर डंगायच
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान B-5, सैन कॉलोनी पावर हाउस रोड कॉलोनी जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम राजेन्द्र कुमार सैन
पिता/पति का नाम श्री मोहन लाल सैन
व्यवसाय सर्विस
निवास स्थान 2052 दीनानाथ जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री JDA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIPUR, व्यवसाय Jaipur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री TARUCHAYA COLONIZERS LLP. THRO. PARTNER VINAY TAMBI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AVADH BIHARI TAMBI, व्यवसाय Business House No.:701, Colony: DYAMOND TOWER SOMDUTT APARMENT, Area: HAWA SARAK, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 248209340/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 248209340/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH DANGAYACH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAND KISHORE DANGAYACH Age: 48 Add: House No.:B-5, , Colony: SAIN COLONY, Area: POWER HOUSE ROAD COLONY, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	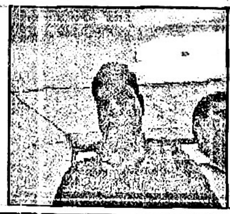	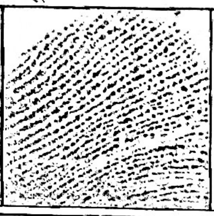	Signature

201601018003985

उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 09 माह 08 सन् 2016 को 10:45 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री TARUCHAYA COLONIZERS LLP. THRO. PARTNER
VINAY TAMBI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AVADH BIHARI TAMBI
उम्र 45 वर्ष, जाति MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:701, Colony: DYAMOND TOWER SOMDUTT
APARMENT, Area: HAWA SARAK, City: JAIPUR, Pin code: 302006,
District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201601018003985

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-IV
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602018004276
दिनांक	09-08-2016
पंजीयन शुल्क ₹	2482100
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	12410500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	2482100
कुल योग	17375000

201601018003985

उप पंजीयक, JAIPUR-IV
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 09/08/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 398 में
पृष्ठ संख्या 195 क्रम संख्या 201603018102752 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1593 के
पृष्ठ संख्या 400 से 409 पर चस्पा किया गया ।

201601018003985 उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
पंजीयक विभाग
सत्यमेव जयते
जयपुर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ06655501875251O
Certificate Issued Date	:	08-Aug-2016 03:59 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ BANI PARK/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL01085740912777820
Purchased by	:	TARUCHAYA COLONIZERS LLP
Description of Document	:	Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	G-20 WEST WAY HEIGHT TRUCK TERMINAL AJMER ROAD JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA JAIPUR
Second Party	:	TARUCHAYA COLONIZERS LLP
Stamp Duty Paid By	:	TARUCHAYA COLONIZERS LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,48,92,600 (One Crore Forty Eight Lakh Ninety Two Thousand Six Hundred only)

(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग — पंजीयक विभाग — सत्यमेव जयते — जयपुर)

(जयपुर विकास प्राधिकरण — जयपुर)

Please write or type below this line

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स
के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी–20
क्षेत्रफल 9296.23 वर्ग मीटर
आवासीय भूखण्ड
के लिए लीजडीड हेतु 12410500+50/–
के स्टाम्प संलग्न है।

उप–पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

उपायुक्त (जोन–8)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

0002098078

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

(चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स
के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी-20
क्षेत्रफल 9296.23 वर्ग मीटर
आवासीय भूखण्ड
के लिए लीजडीड हेतु 12410500+50/-
के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त (जोन-8)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT NO.-G-20
JDA SCHEME - WESTWAY HEIGHTS,(TRUCK TERMINAL SCHEME)
AT VILLAGE - KESHOPURA,ASARPURA,BHANKROTA,JAIPUR.

1.PLOT AREA:-9296.23 SQ.M.
2.GROUND COVERAGE:-35%.
3.FAR:-MAXIMUM:-2.25 (3.25 WITH BETTERMENT LEVY).
4.MAXIMUM HEIGHT:-60 MTR.(OR NOC FROM AIRPOT AUTHORITY WHICH EVER IS LESS).

SCALE: 1CM : 1.5M

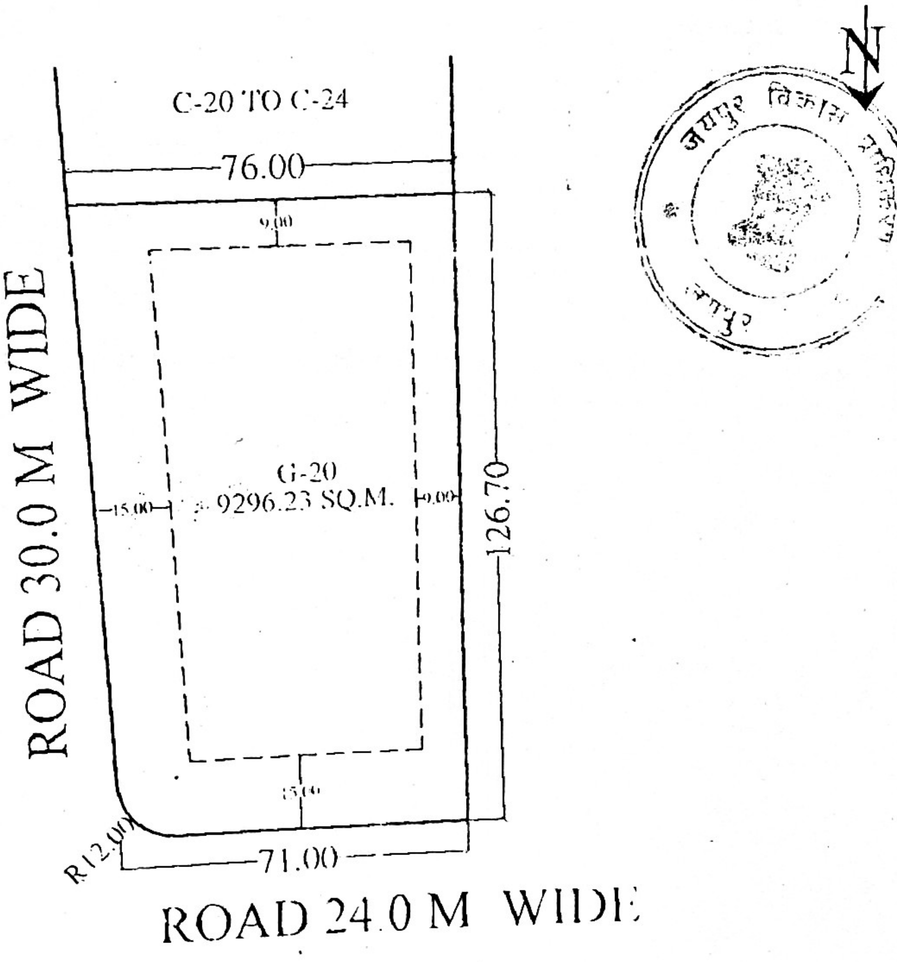

उपायुक्त (जोन-8)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SITE ENGINEER
(ZONE -8)

A.T.P.
(ZONE -8)

DY.COMMISSIONER
(ZONE -8)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

RENEWED JDA PATTA DATED 23.06.2020

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपायुक्त, जोन–8/2020/डी– 907 दिनांक 23.6.2020

उप पंजीयक,
पंजीयन एवं मुद्राक विभाग,
जयपुर।

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईटस् (ट्रक टर्मिनल) के आवासीय भूखण्ड संख्या जी 20 क्षेत्रफल 9296.23 वर्ग मीटर की संशोधित लीजडीड को पंजीयन करने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईटस् (ट्रक टर्मिनल) के आवासीय भूखण्ड संख्या जी 20 क्षेत्रफल 9296.23 वर्ग मीटर की दिनांक 08.08.2016 को मैसर्स तरुछाया कोलोनाईजर्स एल एल पी जरिये पार्टनर विनय ताम्बी को जारी की गई थी। जिसकी संशोधित लीजडीड शुद्धीकरण 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल मुद्रांक पर जारी किया जा रहा है, जो कि पूर्व में जारी लीजडीड का अभिन्न अंग मानते हुए पंजीयन कर रेकार्ड में दर्ज करने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : { Ashokyogi @rajsthan.in}

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0040277383** Payment Date: **26/06/2020 13:16:46**

Office Name:	**Sub Registrar IX Registration & Stamps Jaipur**
Location:	JAIPUR (CITY)
Period:	01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	200.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	200.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**400.00**

Four Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **M/S TARUCHAYA COLONIZERS LLP**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): JAIPUR(000000)
Address:P.NO.G-20 WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL) JAIPUR	Remarks:SUPPLEMENTARY/CORRECTION DEED

Payment Details:		Challan No. -	0
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063267286412606 2020**
Date:	26/06/2020 13:16:46	Refrence No:	**CKN1310768**

Computer generated copy on : ***26/06/2020*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

TARUCHAYA COLONIZERS LLP
Designated Partner

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

L 817342

संशोधित लीजडीड

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना वेस्ट वे हाईटस् (ट्रक टर्मिनल) के समूह आवास भूखण्ड संख्या जी 20 क्षेत्रफल 9296.23 वर्ग मीटर की लीजडीड क्रमांक 01 दिनांक 08.08.2016 को मैसर्स तरुछाया कोलोनाईजर्स एल एल पी जरिये पार्टनर विनय ताम्बी को जारी की गई थी। जिसका पंजीयन उप पंजीयक जयपुर (चतुर्थ) के यहां दिनांक 09.08.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 398 में पृष्ठ संख्या 195 क्रम संख्या 201603018102752 पर पंजीबद्व किया जाकर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1593 के पृष्ठ संख्या 400 से 409 पर चस्पा किया गया है।

उक्त लीजडीड में शर्त संख्या 8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

"नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्ड पर कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। निर्माण नही कराये जाने पर प्रचलित आरक्षित दर का 1 प्रतिशत पुर्नग्रहण शुल्क देय होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन होगा। यदि 10 वर्ष में भी निर्माण नही किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा। भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो जावेगा।"

भविष्य में शर्त संख्या 8 को उपरोक्त संशोधन के अनुसार पढा व समझा जायेगा। पूर्व में जारी लीजडीड की अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेगी। यह संशोधित लीजडीड इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी लीजडीड क्रमांक 01 दिनांक 08.08.2016 का अभिन्न अंग मानी जाकर उसके साथ पढी व समझी जावेगी।

यह संशोधित लीजडीड आज दिनांक 23.6.2020 को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर नवम

क्र. स. 1362 दिनांक 23 JUN 2020

मुद्रांक का मूल्य 500/-

क्रेता का नाम व पता श्री ... LLP

पिता / पति का नाम

निवास स्थान 613 ... जयपुर

वास्ते ...

धनपाल सिंह चौधरी
लाईसेंस स्टाम्प विक्रेता, लाई नं. 44/02
ज.वि.प्रा परिसर, जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10% रुपये 50/-

2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20% रुपये 100/-

कुल योग 150/-

हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

उप पंजीयक जयपुर नवम् (राज.) • SUB-REGISTRAR JAIPUR IX

Presentation Endorsement

आज दिनांक 26 माह 06 सन् 2020 को 02:09 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VINAY TAMBI AS PARTNER M/S TARUCHAYA COLONIZERS LLP पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AWADH BEHARI TAMBI
उम्र 47 वर्ष, जाति MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:D-701, Colony: DIAMOND TOWER SOMDUTT LANDMARK, , Area: HAWA SADAK, City: Jaipur, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001182001752
Supplementary Deed/Correction Deed

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-IX

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002182002091
दिनांक	26-06-2020
पंजीयन शुल्क ₹	200
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	1050

202001182001752
Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक, JAIPUR-IX

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री VINAY TAMBI AS PARTNER M/S TARUCHAYA COLONIZERS LLP, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AWADH BEHARI TAMBI, व्यवसाय Businessजाति MAHAJAN House No.:D-701, Colony: DIAMOND TOWER SOMDUTT LANDMARK, , Area: HAWA SADAK, City: Jaipur, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 47 Signature :

ने लेख्यपत्र Supplementary Deed/Correction Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ------------ ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MANOJ AKAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SUBHASH CHANDRA AKAR जाति MAHAJAN Age: 43 Add: House No.:E-121, Colony: RAMNAGAR EXTN., Area: SODALA, City: Jaipur, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री HARI PRAKASH SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री OM PRAKASH SHARMA जाति BRAHMIN Age: 34 Add: House No.:38, Colony: SALASAR VATIKA-13, Area: MANSHARAMPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202001182001752

उप पंजीयक, JAIPUR-IX

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक
जयपुर नवम

Registration Endorsement

आज दिनांक 29/06/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 149 में
पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 202003182101596 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 594 के
पृष्ठ संख्या 780 से 785 पर चस्पा किया गया ।

202001182001752

उप पंजीयक, JAIPUR-IX

उप पंजीयक
जयपुर नवम्

Supplementary Deed/Correction Deed